विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

A-2191-I-16

अपील प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

कमलसिंह बरकड़े उम्र 32 वर्ष
पिता श्री विसिंह बरकड़े (गौंड़)
निवासी घाट पिपरिया थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

1- श्री सशील कुमार दुबे पिता श्री भीकमलाल दुबे
निवासी 532/1 छोटा जैन [illegible] गढ़ा
जबलपुर

2- श्री सतीश कुमार पटेल
पिता स्व0 श्री कोमल प्रसाद पटेल
निवासी 527/1 बड़ा जैन मंदिर के पास गढ़ा जबलपुर

3- श्री विष्णु कुशवाहा पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा
निवासी शॉप नं. 18, प्रथम तल राबरा शॉपिंग कॉम्पलेक्स,
कटंगा जबलपुर

4- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- प्रति अपीलार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 29/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-5-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (4) के तहत अपील.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 2191-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-7-16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-5-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताकओं के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक 30-5-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी श्री सुनील कुमार दुबे तथा श्री सतीश कुमार पटेल को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम चरगवां प.ह.नं. 38/37 (हर्राई) रा0 नि0 मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि	

A-2191-JJ/16 (Jabalpur)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

खसरा नं. 59/1, 59/2,60 रकबा क्रमशः 1.08, 1.70, 0.850 हैक्टर तथा एक अन्य राजेश साहू को भूमि खसरा नं. 107/1 एवं 115 रकबा क्रमशः 0.160 एवं 0.98 कुल रकबा 1.06 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त, तहसीलदार, बरगी को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक पर बैंक का ऋण बकाया है, जिसे चुकाने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे की आवश्यकता होने के कारण तथा प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने पूर्व में कुछ भूमि राजेश साहू को विक्रय करने का अनुबंध किया गया था किंतु राजेश साहू अब भूमि क्रय नहीं कर रहे हैं इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी क्रमांक 3 विष्णु कुशवाहा से राजेश साहू को विक्रय की जाने वाली भूमि का अनुबंध किया गया है

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 2191–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जिसमें राजेश साहू द्वारा भी सहमति दी गई है । इसीलिए श्री विष्णु कुशवाहा को प्रति–अपीलार्थी क्रमांक 3 बनाया गया है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं एवं अति0 तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अति0 तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । आवेदित भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से अपीलार्थी के हितों पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत उसके पास ग्राम चरगवां तहसील शहपुरा में 3.53 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बचती है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को, प्रति–अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 श्री सुनील कुमार दुबे तथा श्री सतीश कुमार पटेल को अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम चरगवां प0ह0नं0 38/37 (हर्रई) रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि	

A. 2191. I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

खसरा नं. 59/1, 59/2,60 रकबा क्रमशः 1.08, 1.70, 0.850 हैक्टर एवं प्रति अपीलार्थी क्रमांक 3 श्री विष्णु कुशवाहा को ग्राम चरगवां प0ह0नं0 38/37 (हर्रई) रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 107/1 एवं 115 रकबा क्रमशः 0.160 एवं 0.98 कुल रकबा 1.06 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी ।

3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर